Year-9-10; 2018-19
ISSN–2231-1130
Impact Factor – 3.521(IIJIF)
VEETHIKA

शिक्षा का अधिकार अधिनियम : आलोचनात्मक विश्लेषण

श्रीमती सुमनलता**
श्रीमती सुनीता जायसवाल**

शोध सार

शिक्षा किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकता है शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज सभ्य बनता है। शिक्षा समाज के विकास, आर्थिक उन्नति और सार्वभौमिक सम्मान के लिए एक आवश्यक घटक है। हर नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसे समाज में सम्मानपूर्वक जीने के लिए शिक्षा का अधिकार भी हासिल हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई दशको बाद भी हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे है जो विद्यालय से बाहर है इस कारण 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 06 से 14 आयु वर्ग बच्चों के लिए अनुच्छेद 21(।) में शिक्षा को संवेधानिक अधिकार से मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत ''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक'' तैयार किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। 'शिक्षा का अधिकार' शिक्षा प्राप्त करने की राह में मील का पत्थर है। यह कानून गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान है जो सैद्धान्तिक रूप में सही है लेकिन उसके क्रियान्वयन में व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे–विद्यालयी व्यवस्था, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तकनीकी विज्ञान की शिक्षा, बुनियादी सुविधाएँ, अपव्यय व अवरोधन की समस्या, अनुदान राशि का अभाव, कुशल शिक्षकों की कमी इत्यादि। इन चुनौतियों का व्यवहारिक हल प्रदान करके ही जैसे–सृजनात्मकता को शिक्षा में बढ़ावा देना, कक्षा में स्वतंत्र वातावरण प्रदान करके जिससे छात्र अपनी समस्याएँ बता सके एवं अपने विचार निडरता से दे सकें, निजी तथा सरकारी स्कूलों के भेद मिटाकर, शिक्षण को आकर्षित एवं प्रभावी बनाने के लिए कक्षा में ICT का प्रयोग, सतत् और व्यापक मूल्यांकन और अभिभावकों को जागरूक करके हम शिक्षा अधिकार अधिनियम को सफल बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

मुख्य शब्द- शिक्षा का अधिकार (RTE) निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, 2009 अधिनियम, संवैधानिक प्रावधान।

प्रस्तावना :–

शिक्षा विकास की कुंजी है। किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के अभाव में न तो कोई व्यक्ति विकास कर सकता है और न ही कोई समाज एवं देश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है अतः शिक्षा समाज के लिए मूलभूत आवश्यकता है जिसके अभाव में राष्ट्र के उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा के विभिन्न चरणों में प्राथमिक शिक्षा किसी भी समाज की पहली आवश्यकता होती है जो व्यक्ति के समग्र विकास की नींव डालती है तथा उच्च शिक्षा का आधार होती है। सर्वसुलभ एवं सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए उचित संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं जिसके अन्तर्गत धारा (Artical) 45 द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का संकल्प लिया गया ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के छः दशकों के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता के लक्ष्य की प्राप्ति न हो पाने के कारण 12 दिसम्बर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और अनुच्छेद (Artical) 21 (a) को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चो को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

सन् 2002 में ''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक'' तैयार किया गया। इस विधेयक को अगस्त 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी द्वारा स्वीकृति के बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल, 2010 से जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में यह कानून लागू हो गया है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खण्ड़ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के साथ ही भारत उन 135 देशों की सूची में शामिल हो गया है जहाँ बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कानूनी बाध्यता का प्रावधान है। ''शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तिकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है।''

शिक्षा का अधिकार अधिनियम : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

शिक्षा सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में ही ''भारत में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा'' के प्रावधान के लिए ब्रिटिश विधान परिषद् के समक्ष प्रस्ताव रखा था, जो

*एसो0 प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र–विभाग ए0एन0डी0एन0 महिला महाविद्यालय,कानपुर
**असिस्टेन्ट प्रोफेसर ए0एन0डी0एन0 महिला महाविद्यालय हर्षनगर, कानपुर

निहित स्वार्थों के विरोध के चलते अंततः खारिज हो गया। परन्तु बाद में इसकी आवश्यकता को समझते हुए स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व मुख्य न्यायधीश Earl Warren ने कहा कि–''शिक्षा, किसी राज्य तथा वहाँ तक स्थानीय सरकार का मुख्य कार्य है, क्योंकि शिक्षा ही अच्छे नागरिक के निर्माण का आधार है।''

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अन्तर्राष्ट्रीय आधार

किसी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। यदि शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट एवं वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप है तो निश्चित रूप से उस देश के विकसित होने की सम्भावनायें प्रबल होगी। फ्रांस की क्रान्ति के नेता दांते का कहना था कि–'रोटी के बाद शिक्षा जीवन में सबसे मूल्यवान है। रोटी जैविक जीवन के लिए और शिक्षा सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन के लिए अनिवार्य है।

यूनेस्को (UNESCO) ने 2010 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि विश्व भर के 79 करोड़ 90 लाख निरक्षर लोगों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में खासकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया गया है और किया जा रहा है। इनमें महत्वपूर्ण कदम रहा ''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम'' का 2010 में सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होना। ''शिक्षा सभी को सुलभ हो और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो इसके लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किये गये।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNO) ने दिसम्बर 1948 में ''मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा'' की। जिसमें अनुच्छेद–26 (शिक्षा से सम्बन्धित) इसमें महत्वपूर्ण कार्य मानवाधिकारों की घोषणा में कहे गये–

- यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि शिक्षा व्यवस्था व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर सामाजिक गतिशीलता, समानता और सशक्तिकरण का सबसे अच्छा स्रोत है।
- हर एक को शिक्षा का अधिकार है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मुफ्त होगी और सभी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सभी को सुलभ होगी।
- अभिभावक को यह अधिकार होगा कि उनके बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाये।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारतीय परम्परा के अनुसार शिक्षा 'मोक्ष' प्राप्ति का साधन है। प्राचीन समय में परम्परागत रूप से गुरूकुल पद्धति का अनुसरण होता था। वह व्यक्ति जो छात्रों को पढ़ाता उसे 'गुरू' तथा जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती थी उस स्थान को 'आश्रम' कहा जाता था और मुख्य विषय संस्कृत, गणित तथा ज्ञान मीमांसा का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षा प्रकृति के करीब होती थी। छात्र स्वतंत्र तथा स्वछंद होकर शिक्षा ग्रहण करते थे।

वर्तमान समय में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था बच्चे में अत्यधिक दबाव डालती है। स्कूल जाने का पहला ही दिन मासूम बच्चे को दूसरी दुनिया में ले जाता है, ज्यादातर हर बच्चे के ख्यालों में स्कूल की वह अवधारणा होती ही नहीं जिसे मन में संजोकर वह खुशी–खुशी स्कूल जाये। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले दिन स्कूल जाने से इंकार कर देते है। इसका अर्थ सीधा सा है–अधिकतर स्कूलों का कार्य–व्यवहार ऐसा है, जो बच्चों में अपनत्व पैदा नहीं करता। यह तो संकेत भर है ''हर साल परीक्षा से पहले और परीक्षा परिणाम के बाद बच्चों पर क्या गुजरती है, यह किसी से छिपा नहीं है। यही नहीं हर रोज न जाने कितने बच्चों की पवित्र भावनाओं का, विचारों का और आदतों का कक्षा–कक्ष में गला घोंटा जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि बच्चा भय मुक्त शिक्षा किस प्रकार प्राप्त करें–

- अब तक विद्यालय केवल पढ़ने–पढ़ाने का केन्द्र रहे हैं। अधिनियम स्कूल को बाध्य करता है वह बाल केन्द्रित भावना के अनुरूप कार्य करे।
- स्कूली बच्चों से सम्बन्धित घटनाओं में अभी तक बहुत ही कम गैर सरकारी (NGO) तथा जागरूक जनता रूचि लेते थे। अधिनियम यह प्रयास कर रहा है कि वह इन NGOs तथा जनता को जागरूक करें।
- राज्यों में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिये गठित ''राज्य आयोग' बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है बहुत से मामले उस तक पहुँचते ही नहीं, पीड़ित बच्चे या उनके अभिभावक आयोग तक शिकायतें नहीं ले जाते है। RTE अधिनियम इस दिशा में प्रयासरत है कि हर बच्चे को न्याय मिले।
- अभी तक बच्चों की शिकायतों को सुना ही नहीं जाता था। अगर सुना भी तो उसका अस्थायी निवारण होता था। अधिनियम में इसके निवारण के कानूनी प्रावधान बनाये गये।
- स्कूल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते कई बच्चें तो जीवन भर के लिये अपना आत्मविश्वास खो देते थे। जिससे उनमें प्रतिस्पर्धा, असहयोग तथा व्यक्तिवादी भावना जन्म लेती है। अधिनियम किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का सशक्त विरोध करता है।
- जातिगत, लैंगिक रूप से भेदभाव होता रहा है। जिस कारण बच्चे असहज महसूस करते हैं और वह स्वयं ही विद्यालय को छोड़ देते है। अधिनियम इस भेदभाव को समाप्त करता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के **अनुच्छेद–21(I)** 24 एवं 29 सड़क पर रहने वाले बच्चों के उत्थान की वचनबद्धता के उद्देश्य के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है।

अनुच्छेद 21 (a) शिक्षा का अधिकार अधिनियम : राज्य 6 से 14 साल तक की आयु के बच्चों को राज्य, अधिनियम द्वारा ''अनिवार्य एवं निःशुल्क'' शिक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद (24) बच्चों को कारखानों आदि में रोजगार देने पर प्रतिबंध 14 साल से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाना चाहिए।

अनुच्छेद (29) राज्य को, विशेष रूप से ऐसी नीति बनानी चाहिए जो सुरक्षित कर सके–कर्मचारियों का स्वास्थ्य एवं शक्ति, पुरूष एवं महिलाएँ और कम आयु के बच्चे शोषित न हों।

राष्ट्रीय बाल नीति (1974)–राष्ट्रीय बाल नीति 1974 की स्थापना इस दृढ़ विश्वास के साथ की गई थी कि बाल विकास कार्यक्रम बच्चों में समान अवसर प्राप्ति की सुनिश्चिता के लिए आवश्यक है। यह बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं की प्राथमिकता के आधार पर समन्वित रूप से पूर्ति के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। इन प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा 6 से 14 आयु के बच्चों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता रहा है। इन्हीं प्रयास के परिणामस्वरूप शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित हो सका।

RTE अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित सलाहाकार परिषद–मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय, 14 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (NAC) की स्थापना की जिसमें प्रमुख सदस्य हैं–

- NASSCOM के पूर्व अध्यक्ष, किरण कार्णिक
- NCERT के पूर्व निदेशक, कृष्ण कुमार
- NORTH-EAST HILL UNIVERSITY के पूर्व कुलपति, मृणाल मिरी
- SOCIAL SCIENTIST योगेन्द्र यादव
- (TEACH) द एजुकेटर्स असिस्टिंग चिल्ड्रन होप्स इंडिया के सचिव–साजित कृष्णन कुट्टी।
- An Activist & Head of Central For Social Equity & Inclusion, एनी नामला
- Vice-President of Muslim Education Society, अबु बकर अहमद

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का संवैधानिक क्रियान्वयन

दिसम्बर (2002)

अनुच्छेद–21(1) (भाग–3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को 'निःशुल्क' और 'अनिवार्य' शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया।

(2004)

प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधन प्रारूप तैयार कर http://education.nic.in वेबसाइट पर डाला गया।(2005) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति (CABE) ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार कर उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) को सौंपा। MHRD ने इसे राष्ट्रीय सलाहाकार परिषद (NAC) के पास भेजा, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं। NAC ने इस विधेयक को प्रधानमंत्री के ध्यानार्थ भेजा।

14 जुलाई **(2006)**

वित्त समिति और योजना आयोग ने विधेयक को कोष (Fund) के अभाव का कारण बताते हुए नामंजूर कर दिया और एक मॉडल विधेयक तैयार कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिये राज्यों को भेजा।

(2009)

''निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009'' को संसद के दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा गया।

1 अप्रैल 2010

अंततः निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम सम्पूर्ण भारत देश में प्रभावी हो गया।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन के एक वर्ष बाद 2011 में MHRD द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह माना गया कि 6 से 14 वर्ष के 8.1 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर रहते है और देशभर में 508,000 शिक्षकों की कमी हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी अधिनियम का पारित होना भारत के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक मौका है। यह अधिनियम उस ढाँचे का काम करेगा जिससे हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा पाने के उसके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और सरकार, परिवारों एवं समुदायों की मदद से इस जिम्मेदारी को वहन करेगी। इसके लिए प्रमुख विशेषताओं का भी पालन करेगी–

- 6 से 14 आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा।
- 6 से 14 वर्ष तक लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख यानि 4.6 प्रतिशत अभी भी स्कूल नहीं जा पाते है जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रूपये की जरूरत होगी इसमें 25000 करोड़ रूपये वित्त आयोग राज्यों को देगा।

• इन बच्चों को न स्कूल फीस देनी होगी न ही यूनिफार्म, पुस्तकों, ट्रांस्पोर्टेशन या मिड–डे–मिल (MDM) जैसी चीजों पर खर्च करना होगा।

• बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जायेगा न निकाला जायेगा ताकि वित्तीय बोझ से यह अधिनियम प्रभावित न हो। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से ऊपर है, जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अथवा है तो भी अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया/पायी है, तब उसे उसकी उम्र के लायक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा; बशर्ते की सीधे तौर से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय सीमा के भीतर विशेष ट्रेनिंग दी जानी होगी, जो प्रस्तावित हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु दाखिला लेने वाला/वाली बच्चा/बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।

• प्रवेश के लिए उम्र का साक्ष्य : उसके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु तथा विवाह पंजीकरण कानून, 1856 आदि। उम्र **प्रमाण** पत्र न होने पर किसी भी बच्चे को दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।

• प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्र को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

• एक निश्चित शिक्षक–छात्र अनुपात की सिफारिश।

• जम्मू–कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में लागू होगा।

• अर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिये 25 प्रतिशत का आरक्षण।

• शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार।

• स्कूल शिक्षक के 5 वर्षो के अन्दर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा उनकी नौकरी चली जायेगी।

• स्कूल का बुनियादी ढांचा 3 वर्षो के भीतर सुधारा जाए अन्यथा उसकी मान्यता र्‌द कर दें।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम की चुनौतियाँ–

2002 में संविधान के 86वें संशोधन में एक्ट 21(I) को शामिल किए जाने के साथ ही 6 से 14 आयु के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। परन्तु इसे लागू करने वाला कानून 8 साल बाद 2010 में लाया गया।

परन्तु विडम्बना यह है कि अधिनियम में दिये गये अनेक प्रावधानों को शायद ठीक से देखा और समझा नहीं गया है। उन्हें अमल में लाना तो बहुत दूर की बात है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में अनेक चुनौतियां अनुभव की जा रही है–

• विद्यार्थियों को स्कूल में बनाए रखना एक चुनौती है–राज्य सरकारें और उनके अधीन ग्राम पंचायतें बच्चों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराने का प्रयत्न करें और उन्हें स्कूल छोड़ने न दें। कानून बनने के 7 वर्षो के बाद भी बच्चे वही के वहीं है। अब समस्या पंजीकरण की कम और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की ज्यादा है। ये बच्चे खेतों या घरों में काम करने या यूं ही मौज–मस्ती के लिए स्कूल छोड़ देते है, लड़कियाँ अलग प्रसाधन के अभाव में स्कूल छोड़ देतीं हैं। इस प्रकार दिव्यांग, अनाथ एवं एकल अभिभावक वाले परिवारों के बच्चों के लिए विद्यालय तक पहुँचना बहुत कठिन हो जाता है।

• **विद्यालय का असुरक्षित वातावरण**–विद्यालय में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण कई बच्चे आजीवन के लिए अपना आत्मविश्वास खो देते हैं इससे कक्षा में ही प्रतिस्पर्धा जन्म लेती है, बच्वें असहयोग तथा व्यक्तिवादी स्वभाव की ओर उन्मुख होते है।

• **योग्य शिक्षकों की कमी– यो**ग्य शिक्षकों की भारी कमीं RTE के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। देश के 41 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जहाँ पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है। यदि शिक्षा संस्थानों में योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो विकास के सारे लक्ष्य अर्थहीन होकर रह जाएंगे।

• **शिक्षक–प्रशिक्षण–** शिक्षक को नई तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा उसे समझना होगा कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है और अपनी गति से सीखता है। किसी भी कक्षा में वर्ष के किसी भी समय बच्चे का प्रवेश और उस बच्चे को अन्य बच्चों के समकक्ष ले जाना उस शिक्षक के लिये चुनौती होगी।

• **पाठ्यक्रम में समग्रता का अभाव–** आज ज्यादातर राज्यों के विद्यालयों में जिस तरह के पाठ्यक्रम और पाठ्य–पुस्तक लागू है, वे बच्चों को अच्छी तरह से नहीं सिखा पा रहे हैं। मानक भाषाओं में विकसित ये पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे यह सोचने का विषय है। एक ही कक्षा में अलग–अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए कैसी सामग्री बनाई जाए, कैसे उन तक पहुँचाया जाये यह भी एक चुनौती है।

• **अपव्यय व अवरोधन की समस्या**–प्राथमिक स्तर पर निर्धनता, अशिक्षा, सुविधाओं की कमी, सामाजिक भिन्नता आदि के कारण अपव्यय तथा अवरोधन अधिक होता है। कक्षा एक में नामांकित 100 बच्चों का प्रतिशत 5वीं कक्षा तक 31.8 प्रतिशत रह जाता है, 8वीं कक्षा तक 25 प्रतिशत रह जाता है। अपव्यय तथा अवरोधन की

समस्या के कारण समय, शक्ति तथा धन तीनों का ह्रास होता है।

• **शासन की कमजोर नीति**–संविधान द्वारा निर्देशित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी शासन की नीति कमजोर तथा अपर्याप्त है। सरकार ने अधिनियम को लागू तो किया लेकिन उसे न मानने वालों के लिए सख्ती का कोई प्रावधान नहीं किया।

• **ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास की भिन्नता**–राज्यवार प्राथमिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विकास में भिन्नता दिखाई पड़ती है। शहर में सुविधाओं के कारण इसका विकास अधिक हुआ है जबकि गाँवों में नहीं। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर अत्यधिक पिछड़ापन है जिस कारण शिक्षा अधिकार अधिनियम सफल नहीं हो पा रहा है।

• **अपर्याप्त अनुदान राशि**–अपर्याप्त अनुदान राशि के कारण निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यक्रम को लागू करना अत्यन्त कठिन प्रतीत हो रहा है।

• **अपर्याप्त बुनियादी सुविधायें**–यूनीसेफ (UNICEF) के एक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों का स्कूल नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण–वहाँ बुनियादी सुविधाओं (शिक्षकों की कमी, विद्यालय भवन का अभाव, पेयजल, शौचालय, विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षकों की आदि) की कमीं है।

सरकार के सर्वे के अनुसार–अधिकतर राज्यों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

सुविधाओं के बिन्दु उपलब्धता का प्रतिशत आवश्यकता का प्रतिशत

पक्के भवन 67ः 33ः

कम्प्यूटर 19ः 81ः

बिजली 38ः 62ः

पेयजल 93ः 7ः

टॉयलेट 43ः 57ः

खेल के मैदान 40ः 60ः

शिक्षक 53ः 47ः

विद्यालयों का विवरण

(घर से स्कूल की दूरी 1 किमी0 से दूर) 39ः 61ः

स्रोत : हिन्दुस्तान P.16, 30 मार्च 2014

• **छात्र–शिक्षक अनुपात–**(UDISE) Unified District Information System for Education 2015:16 के डाटाबेस के अनुसार देश के 33 प्रतिशत स्कूलों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है इस अनुपात में कमी को हम लक्ष्यद्वीप में 100 प्रतिशत से लेकर बिहार में 16.6 प्रतिशत तक देख सकते हैं। अधिकाश राज्यों के स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की संख्या, उनकी स्थिति आदि पर केई ध्यान नहीं दिया जाता है।

• **विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता**–किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण वहाँ शिक्षा सत्र का निर्धारण करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए। क्षेत्र फसल कटने का समय, त्योहारों का समय, आपदाएँ अलग–अलग होती है। इनका गहरा प्रभाव स्कूलों के बच्चों पर भी पड़ता है।

• **शिक्षा व्यवस्था का रोजगारोन्मुखी न होना**–भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या रोजगारपरक न होना। एक सर्वेक्षण के अनुसार शामिल व्यक्तियों में से केवल 26 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उन्हें रोजगार मिलने में स्कूली शिक्षा काम आई है।

• **प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप**–प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप बच्चों के लिए अधिक लाभकारी तथा आकर्षक नहीं है। इसका लक्ष्य बहुत ही संकीर्ण है। यह न तो बच्चे के किसी रोजगार के लायक बनाती है आर न ही उनका सर्वांगीण विकास करती है। बच्चे स्कूल तो जाने लगे हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता घटी है।

शिक्षा का अधिकार कानून–6 से 14 आयु वर्ग का मतलब 8वीं कक्षा तक बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का बात कहता है लेकिन गाँवों में केवल 5वीं कक्षा तक के ही स्कूल है इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिक स्कूलों में जाना पड़ता है। वहाँ जाने के लिए आवागमन शुल्क देने के लिए उनके पास पैसे उपलब्ध नहीं होते है। जिससे बच्चों की शिक्षा बीच में ही छूट जाती है।

यद्यपि इस अधिनियम को समान रूप से लागू किया गया परन्तु निजी स्कूलों में फीस के अतिरिक्त और खर्चे भी होते हैं जिसको वहन कर पाना आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के माता–पिता के लिए असम्भव है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने के सुझावः

शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत हद तक बाल मनःस्थिति को समझते हुए ही तैयार किया गया है। यदि समाज, शिक्षक और अभिभावक अधिनियम की मूल भावना का सम्मान करते हुए बच्चे के साथ दोस्त के रूप में और एक सहयोगी के रूप में पेश आएंगे तो निश्चित रूप से बाल जीवन सुखद होगा और यही बच्चे राष्ट्र की प्रगति में आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान कर

सकेंगे। कुछ प्रमुख निम्नांकित बिन्दु हैं जो इस अधिनियम का पालन करने पर हमें समाज में, स्कूल में और घर–परिवार में धीरे–धीरे दिखाई देंगे–

- परिवार के बाद विद्यालय ही ऐसा स्थान है जो बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव डालते है। यदि स्कूल भय रहित, दण्ड रहित होगा तो निश्चित ही विद्यालय आनन्दालय बन सकेंगे।
- इस अधिनियम के पारित होने से बच्चों में स्कूल तथा शिक्षकों से दण्ड का डर होता है वह भय समाप्त हो जायेगा और वह खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे।
- वर्तमान समय तकनीकी, विज्ञान और सूचना क्रान्ति का है एक शिक्षक को इस बदलते समाज में अपनी शिक्षण पद्धति को आकर्षक एवं रूचिकर बनाना होगा ताकि बच्चों को प्राप्त ज्ञान स्थाई और व्यवहारिक हो सके।
- रटने वाली विद्या से हटकर हमें विद्यार्थियों को शिक्षा में सृजनात्मकता एवं कौशल विकास की दिशा में ले जाना होगा। जीवन में यही उनके काम आएगा आज की स्कूली शिक्षा का 80 प्रतिशत ज्ञान जीवन में उनके कभी काम नहीं आता है।
- हमारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक दृष्टिकोण और लचीलापन लाने की आवश्यकता है। गैर सरकारी संगठन (NGO) 'प्रथम' जो मुम्बई में स्थित है ने भी अपनी रिपोर्ट में CAML (Combined Activities For Maximised Learning) को अपनाने की बात कही है।
- निजी एवं सरकारी स्कूलों के बीच बनाए जा रहे मतभेदों को एक सिरे से खारिज किये जाने की जरूरत है समाज के बढ़ते जीवन स्तर के साथ श्रेष्ठ विद्यालयों की भी आवश्यकता है। इस मामले में राजस्थान सरकार का निर्णय शायद कुछ निर्णायक भूमिका निभा सके, जिसमें उन्होंने सभी सरकारी स्कूलों की PPP (Public Private Partnership) में चलाने का मॉडल तैयार किया है।

- ○ शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत अधिनियम का 25 प्रतिशत कोटा का पालन न करने के मामले में कड़े दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- ○ इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए हित धारकों को संवेदनशील जागरूकता अभियान चलाये जाने चाहिए। जिसमें मीडिया/सोशल मीडिया, प्रसिद्ध व्यक्तियों, स्थानीय नेताओं, सिविल सोसाइटी आदि को शामिल करना चाहिए।
- ○ इनके साथ ही साथ स्कूलों की समुचित निगरानी करनी चाहिए एवं समय–समय पर इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की रिपोर्ट लेनी चाहिए।
- ○ स्कूलों की रियल टाइम आधार पर निगरानी के लिए ऑन लाइन प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए।
- ○ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्ययन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सतत् और व्यापक मूल्यांकन को महत्व देना चाहिए तथा अध्यापन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षण–प्रशिक्षण व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए।
- ○ सरकारी शिक्षा तंत्र में लगभग 90 प्रतिशत खर्च शिक्षकों के वेतन में लगता है, यदि हमें अपने युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खड़े होने की क्षमता देनी है तो शिक्षकों के वेतन में कटौती कर प्रतिमाह कुछ रकम सीधे सभी छात्रों को दे देना चाहिए, जिससे वे मन चाहे स्कूलों में दाखिला ले सके।

निष्कर्ष

विश्व स्तर पर भारत देश विकसित देशों की श्रेणी में आता है लेकिन इस पूरे प्रगतिशील दौर में आज भी देश में शिक्षा का स्तर अधिक चिन्ताजनक बना हुआ है आज भले ही हमारे पास हर तीन किलोमीटर पर प्राथमिक पाठशालाएँ मौजूद है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। वर्तमान समय में छात्रों की नामांकन संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु शिक्षा के मापदण्डों (Norm) पर इन बच्चों की स्थिति चिन्ताजनक हो गई है। RTE Act बना देना, काफी नहीं है आवश्यकता है प्रत्येक स्तर पर अपनी जिम्मेदारी उठाने की। बच्चों के लिए स्कूल बना देना ही इतिश्री नहीं है। उन्हें स्कूल में बनाये रखना ताकि इस कथन ''पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत'' को सार्थक किया जा सके। RTE अधिनियम निश्चित ही सराहनीय प्रयास है, सरकार अपनी तरफ से अपेक्षित वित्त का निर्गमन कर रही है परन्तु प्रशासन की लचर नियंत्रण प्रणाली के चलते अनेकों चीजें अव्यवस्था तथा अराजकता का शिकार हो रही है। इसके साथ ही साथ अभिभावकों का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण भी बदलने की आवश्यकता हैं। गरीबी तथा बेरोजगारी के चलते अभिभावक चाहते हैं उनके बच्चें काम पर लग जायें इसलिए वे उन्हें स्कूल नहीं भेज पाते है। स्कूल छात्रविहीन होते जा रहे हैं, अधिकाधिक सरकारी प्रयासों के बावजूद छात्र उपस्थिति संतोषजनक नहीं हो पा रही है। RTE अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास करना होगा जिससे संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

संदर्भ–सूची

1. बाजपेई, एल0बी0 और श्रीमाली, एस0एल0 (2018), ''शिक्षा में नवाचार एवं नवीन प्रवृत्तियाँ'', आलोक प्रकाशन लखनऊ, पृ0 364
2. त्यागी, गुरसरनदास (2014/15), ''शिक्षा के सिद्धान्त'', अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, पृ0 308
3. सिंह, एन0के0 (2009), ''शिक्षा के अधिकार से आगे'' हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र, 4 अगस्त 2009
4. मिश्रा, डी0 सी0 एवं मिश्रा, सीमा (2014), ''शिक्षाशास्त्र'', अनुसंधान प्रकाशन, कानपुर, पृ0 136
5. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009), नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

- *https://hi.m.wikipedia.org*
- *https://www.pravakta.com*
- *https://m.Facebook.com/only*